हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 1 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जनवरी, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in

मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण बना कानून

सामान्य वर्ग की चिरप्रतिक्षित मांग पूरी

जयपुर। अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को शिक्षा व रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का 124वां संविधान संशोधन बिल आठ जनवरी को लोक सभा में एवं नौ जनवरी को राज्यसभा में प्रचण्ड बहुमत से पास हो गया।

लोकसभा में 5 घंटे की बहस के बाद विधेयक के पक्ष में 323 और विरोध में 3 वोट पड़े। इसी प्रकार राज्यसभा में 10 घंटे की बहस के बाद विधेयक के समर्थन में 165 व खिलाफ में 7 वोट पड़े। इससे पहले बिल को सलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग राज्य सभा ने सीरे से नकार दिया। सरकार साफ कर चुकी है कि विधेयक पर राज्यों की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है।

राष्ट्रपति महोदय ने 12 जनवरी को हस्ताक्षर करके इस विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की। इसके आधार पर अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी को जारी हो गई है।

दूसरी तरफ कतिपय उदाहरण ऐसे भी है जिन्होंने संसद में इस बिल का पूरजोर विरोध करते हुये भी समर्थन में मतदान किया। लेकिन संसद से बाहर इस विधेयक का विरोध 8 लाख की आर्थिक सीमा को लेकर है। आरजेडी के जातिवादी सांसद रघुवंश प्रसाद ने टीवी चैनलों पर अपना मत प्रकट करते हुये 8 लाख की सीमा पर आपत्ति प्रकट की। इसी प्रकार आरजेडी के ही मनोज झा ने कहा कि यह ओबीसी आरक्षण को खाने की कोशिश है। जातिगत आरक्षण खत्म करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर भी यह बहस चल रही है कि सरकार इनकम टैक्स की सीमा तो 5 लाख रखती है जबकि 8 लाख के लोगों को गरीबी के आधार पर आरक्षण देती है। यह विरोधाभास खत्म किया जाना चाहिये। जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो वैसे ही विचार प्रकट कर रहा है।

समता राज्य कार्यकारिणी के निर्णय

जयपुर । दिनांक 30 दिसम्बर 2018 को वर्धमान भवन, जयपुर में आयोजित समता प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिये गए निर्णयों और मुख्य कार्यवाहियों की सूचना सभी की सूचनार्थ दी जा रही हैं :-

समता आन्दोलन के 24 पृष्ठीय केलेंडर का विमोचन करते पदाधिकारी

1. प्रथम सत्र एवम द्वितीय सत्र के पहले आधा घण्टे के समय में समता मिशन-59 की समीक्षा की गई। एक दो के अलावा सभी पदाधिकारियों ने समता मिशन-59 के प्रस्तावों, उद्देश्यों व संचालन की सराहना की। प्रत्याशियों को वोट नहीं मिलने के कारणों पर प्रकाश डाला और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गए। दोनों संरक्षकों, जस्टीस पानाचंद जैन, पूर्व आई.ए.एस भागीरथ शर्मा एवं गेस्ट ऑफ ऑनर पूर्व आईजीपी आर डी गोयल ने भी समता मिशन-59 जैसे अभियानों को समता उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अत्यंत आवश्यक बतलाया।

2. समता संरक्षकों और गेस्ट ऑफ ऑनर द्वारा वर्ष 2019 के लिये बनवाए गए 24 पृष्ठीय समता केलेंडर का विमोचन किया गया। इस केलेंडर को जिला अध्यक्षों और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की मार्फत समता सक्रीय सदस्यों, शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

-: निम्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गए: -

अ. राजस्थान के 25 संसदीय क्षेत्रों में समता सांसद सलाहकार परिषद का गठन शीघ्रता से किया जावे । ब. समता आन्दोलन के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एक स्मारिका का प्रकाशन किया जावे जिसमे समता के संगठन, अब तक की गतिविधियों, उपलब्धियों, आरक्षण प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों आदि की जानकारियां दी जावें। यह भी निर्णय किया गया कि इस स्मारिका के लिये जिन प्रदेश, सम्भाग, जिला, तहसील व प्रकोष्ठ इकाइयों द्वारा विज्ञापन इकट्ठे कर के भिजवाए जावें उनका 60 प्रतिशत भाग उन्ही इकाइयों को खर्च करने का अधिकार दिया जावे, 20 प्रतिशत भाग स्मारिका की अच्छी छपाई पर खर्च किया जावे तथा शेष 20 प्रतिशत भाग संस्था के केंद्र और राज्य स्तर पर संगठन की गतिविधियों के लिये रखा जावे।

स. आगामी लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 7 आरक्षित सीटों में से कम से कम एक सीट पर उस प्रत्याशी को समर्थन व सहयोग दे कर जिताया जावे जो समता के राष्ट्रवादी छः प्रस्तावों पर शपथपत्र दे कर वचनबद्ध हो। इसके लिये अभी से तैयारी की जावे।

द. राजस्थान में सम्भाग स्तर पर समता संरक्षकों के सान्निध्य में बैठके की जावें तथा समता के उद्देश्यों और गतिविधियों का प्रचार प्रसार करते हुवे आम नागरिकों को आन्दोलन से जोड़ा जावे ।

अध्यक्ष की कलम से

जातिगत आरक्षण की समाप्ति की शुरूआत साबित होगा 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण

श्रीमान, EBC को 10% आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम है, इसका सभी राष्ट्रवादियों को स्वागत करना चाहिए। 1. समता आन्दोलन शुरू में सामान्य वर्ग के आरक्षण के खिलाफ था लेकिन आप को बता दें कि पिछले 8-10 बर्षों से जो चयन सूचियाँ आ रही हैं उनमें 90% से 100% तक सीटों पर आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी चयनित हो रहे हैं। आरक्षित वर्ग की Cut-off लगातार सामान्य वर्ग से ऊपर जा रही है। OBC में जो सशक्त जातियाँ शामिल कर दी गई हैं वो लगातार OBC व सामान्य सभी सीटों पर कब्जा करती जा रही हैं। सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में समाप्त हो रहा है, हमारी जानकारी के अनुसार राजस्थान में सरकारी सेवाओं में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व 90% तक हो चुका है। राज्य सरकार ने 2012 से कर्मचारियों के वर्गवार आंकड़े प्रकाशित करने बन्द कर दिये हैं। OBC से सशक्त जातियों को तथा SC/STसे क्रीमीलेयर को बाहर करने की शक्ति किसी भी सरकार में नहीं है। ऐसी स्थितियों में सामान्य वर्ग को संरक्षण की बेहद जरूरत थी। अब चयन सूचियों में कम से कम 10% तो सामान्य वर्ग के लोग आने लगेंगे, शेष 40% में जो भी मेरिट से आ सकेगा वो ठीक है। 2. समता आन्दोलन शुरू से ही जातिगत आरक्षण के विरुद्ध रहा है क्यों कि इस के कारण पात्र व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, अपात्र व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ लेता जाता है, समाज में जातिगत जहर फैलता है, जातिवादी जड़ें खत्म होने की बजाय और ज्यादा गहरी होती जा रही हैं, देश तेज गति से जातिगत गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। EBC को आरक्षण का संशोधन जातिगत आरक्षण समाप्ति की शुरुआत है। देश को जातिगत गृहयुद्ध की ओर धकेलने वाले तथा जातिगत जहर फैलाने वाले लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। 3. ये संविधान संशोधन किसी भी सूरत में निरस्त नहीं होगा, बहुत सोच समझ कर चतुराई पूर्वक ड्राफ्ट किया गया है। एक रिट लग चुकी है, और भी लग सकती हैं। मेरा मत है कि ये सभी याचिकाएं पहली सुनवाई में ही निरस्त हो जाएंगी। यदि किन्हीं कारणों से नोटिस हो जाते हैं तो समता आंदोलन इस संविधान संशोधन के बचाव में पार्टी बनेगा और कोर्ट में वो तथ्य और आंकड़े पेश किये जावेंगे जो सरकारें जातिगत दबावों के कारण पेश नहीं कर पाएंगी। 4. ये संविधान संशोधन समरसता और सामाजिक न्याय के लिये पूरे देश में लागू होना बेहद जरूरी है। इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे जो समता आन्दोलन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होंगे। 5. इस संशोधन के बाद समता आन्दोलन के राष्ट्रवादी संघर्ष को कोई आरक्षित और अनारक्षित के संघर्ष के रूप में दुष्प्रचारित नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे जातिवादी राजनेताओं को विकासवाद के रास्ते पर आना ही होगा। 6. हमारे विचार से BJP और कॉंग्रेस, दोनों ही राष्ट्रवादी पार्टिया इस जाति आधारित आरक्षण और जातिवादी राजनीति से भयंकर त्रस्त हैं। देश को जातिगत गृहयुद्ध से बचाना भी चाहती हैं और अपना Vote Bank भी बढ़ाना चाहती हैं। अपनी मजबूरियों के चलते पूरे विपक्ष और कॉंग्रेस के दबाव में BJP सरकार ने Atrocity Act में संशोधन किया, यानी सभी पार्टियों ने एकमत हो कर संशोधन किया फिर भी मतदाताओं का गुस्सा उतरा BJP पर क्योंकि केंद्र में BJP ही सत्ता में है, इसी ने अगुवाई कर के संशोधन करवाया था। इसी प्रकार अब इस समतावादी जातिविरोधी संविधान संशोधन का समर्थन लगभग सभी दलों ने किया है लेकिन इसका लाभ BJP सरकार को मिलना स्वाभाविक है क्यों कि ये संशोधन BJP की अगुवाई में ही लाया गया है तथा केंद्र में BJP ही सत्तासीन है। 7. समता आन्दोलन के विरुद्ध सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट में कई बर्षों से पेंडिंग है। इस Writ में हमारे द्वारा हाइ कोर्ट में एक प्रेयर ये भी की गई थी कि OBC 21%,SBC 5% और EBC 14% आरक्षण को आनुपातिक रूप से कम करते हुवे 50% आरक्षण सीमा के अंदर तक सीमित कर दिया जावे। RHC ने इस प्रेयर पर कोई निर्णय नहीं दिया है। हम कोशिश करेंगे कि इस संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रेयर पर निर्णय करवाया जावे। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो केंद्र व राज्य द्वारा जो 10% EBC आरक्षण का Notificationजारी किया गया है उसे सही मानते हुवे चुनौती देकर 50% आरक्षण सीमा के अंदर लाने का प्रयास किया जावेगा। 8. हमारे बहुत से समतावादी साथी पूरे विधिक ज्ञान के अभाव में अपनी कल्पनिक पोस्टें डाल रहे हैं। कृपया भ्रम फैलाने वाली पोस्टें नहीं डालें। किसी समतावादी के कोई Confusion हो तो अपने जिलाध्यक्ष की मार्फत मुझ से क्लियर करवा लेवें। हमारे कोई समतावादी विचारक कृपया किसी भ्रमवश इस ऐतिहासिक कदम की आलोचना का भागीदार नहीं बनें। 9. अब हमें क्रीमीलेयर की आर्थिक सीमा को कम करवाने तथा SC/ST में क्रीमीलेयर लागू करवाने में इस संशोधन से काफी मदद मिलेगी। कुल मिला कर EBC आरक्षण वाला संविधान संशोधन सभी राष्ट्रवादी और जातिविरोधी नागरिकों के लिये सुखदाई है। समता आन्दोलन की गतिविधियों के लिये बल्ले-बल्ले है। 10% आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण पर समता आन्दोलन का दृष्टिकोण समझने और समझाने के लिये कृपया https://youtu-be/f1CSh6stQd Link या समता आन्दोलन की वेब साइट www.samtaan-dolan.co.in (Vedio Libraru) को खोल कर जरूर देखें। कृपया सभी को फॉरवर्ड भी करें, अपनी Face Book पर भी डालें। सादर।

सम्पादकीय

भगवान से भक्त का विरोध

पाठक कृपया विश्वास करें कि आज का सम्पादकीय भी हर बार की तरह पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लिखा जा रहा है। फिर भी इस अपील का कारण ये है कि आज का विषय बाकी सभी संपादकीय से अलग है। असल में हम भारत देश से प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रयोग के तौर पर देश की सम्पूर्ण न्याय प्रणाली को छः माह के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाये। न न ऐसा मत सोचें कि ऐसा सोचना भी अपराध है। क्योंकि अपने कथन को मजबूती देने के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि जस्टिस आनन्द ने जब पहले पहल इस तथ्य का उद्घाटन किया था कि ''देश में तीन करोड़ मुकदमें लम्बित है''(हालांकि 30-35 साल बाद भी यह आंकड़ा वहीं का वहीं है)। हम ये भी न कहेंगे कि देश का चीफ जस्टिस एक नहीं दो बार सार्वजनिक मंच पर अपनी असहायता को लेकर रो पड़ता है और प्रधानमंत्री बस टुकुर-टुकुर देखता रहता है। हम ये भी नहीं कहेंगे न्यायति की कुर्सियों पर न्यायिक अधिकार आकर बैठ गये हैं।

हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि देश पहले की तरह फिर से भगवान भरोसे चल रहा है। अतः आवश्यक सा लगने लगा है कि फिर देश के सवा सौ करोड़ जन को न्याय के भुलावे में क्यों रखा जावे? न न ये केवल भावुक बात नहीं है। तथ्य देखें- (1) सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जज अपनी गरिमा, आचार संहिता को नकारते हुए निजि स्वार्थ के लिए मीडिया के सामने आ गये। (2) सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना न होने पर अवमानना हुई है या नहीं इसे समझने के लिए सबसे बड़ी अदालत को दो-चार-छः साल लग सकते हैं। फिर भी नतीजा वहीं रहता है। (3) स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों के प्रति इतना उलझ गया है कि संविधान पीठ के सर्वसम्मत निर्णयों पर भी पुनः विचार करने बैठ जाता है। (4) सुप्रीम कोर्ट विशेषतः जाति आरक्षण के मामले में तो ऐसा शेर साबित हुआ है कि जिसके दहाड़ने से पहले ही उसके दांत गिर जाते हैं और वो फिर से चर्वित-चर्वण करने लगता है। और-और..... ।

पहली दृष्टि में लगता है कि यह सम्पादकीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है तो कृपया आश्वस्त हों कि सुप्रीम कोर्ट भी उस न्याय व्यवस्था का ही एक अंग है जिसमें सत्ताधारी सरकार इस अदालत के एक जज को कुछ ऐसा प्रस्ताव देती है कि शोर-शराबे के बाद उस जज को प्रस्ताव स्वीकार करने से मना करना पड़ता है। हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय जन न्याय को परमेश्वर मानता है। और पूरी दुनिया जानती है कि केवल भारत भूमि ही ऐसी है जहाँ भक्त को अधिकार है कि वो भगवान को भी बुरा भला कह सके। यही हमारा भी भाव है।

हमारा अटूट विश्वार है कि मुन्सिफ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की सर्वोच्च पीठ ही न्याय का पर्याय है। उसकी उपपीठ अर्थात हाईकोर्ट मात्र पीड़ित की पीड़ा को भुलावे में रखने का साधन मात्र है। हाईकोर्टों के किसी अच्छे, पुराने अच्छे अथवा बुरे निर्णय का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर फैसला सुप्रीम कोर्ट से ''स्टे'' होता ही है और न्याय को मज़ाक समझने वाले निर्णय के ''स्टे'' होने के अन्तराल का कैसा फायदा उठाते हैं ये किसी से छुपा नहीं। फिर अब ''स्टे'' भी लूले-लंगड़े होने लगे हैं। यानि हाईकोर्ट के किसी भी निर्णय का दुरूपयोग हो चुका है तो स्टे की भाषा होती है- ''जो हो चुका वह निर्णय के अधीन रहेगा''।

यह अचानक और आवेश में नहीं होता है कि कोई भक्त भगवान का विरोध करे। साधारणतः भक्त तभी सामने खड़ा होता है जब भगवान की भगवत्ता लगातार एक आयामी हो। कम से कम जात आधारित आरक्षण पर तो ये कहा ही जा सकता है कि इतने अलग-अलग निर्णय आ चुके हैं कि उन्हें मिलाकर एक निष्कर्ष पर पहुँचना प्रायः असंभव है। इसी का परिणाम है कि देश का सर्वोच्च नेता छाती ठोककर कह देता है कि ''मेरे रहते आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता''-। लोकतंत्र में 28 प्रतिशत की तरफ से 72 प्रतिशत पर ऐसी धौंसपट्टी, वो भी सर्वोच्च नेता के द्वारा न्याय की प्रतिष्ठा को यदि धूल धूसरित करती है तो भक्त का भी नैसर्गिक अधिकार है कि वो अपने भगवान को भी आईना दिखा सके। यही हमारा मन और मन्तव्य है।

- योगेश्वर झाड़सरिया

क्या संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 कानून की कसौटी पर खरा साबित होगा?

जस्टिस पानाचन्द जैन, संरक्षक समता आन्दोलन समिति

दिनांक 07.01.2019 को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को आर्थिक आधार पर मंजूरी दी जाये। लोकसभा में इस हेतु दिनांक 08.01.2019 को 124वां संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया गया और पारित भी हो गया।

इस विधेयक को इस उद्देश्य और कारणों से लाया गया है कि वर्तमान में नागरिक के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग ऐसे व्यक्तियों से जो आर्थिक रूप से अधिक सुविधा प्राप्त है, प्रतिस्पर्धा करने में अपनी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने से अधिकांश वंचित रहे हैं। अनुच्छेद 15 के खण्ड (4) और खण्ड (5) तथा अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन विद्यमान आरक्षण के फायदे उन्हें साधारणतया तब तक उपलब्ध नहीं होते, जब तक कि वे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के विनिर्दिष्ट मापदण्डों को पूरा नहीं करते। अतः संविधान 124वां संशोधन विधेयक, 2019 उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राईवेट शैक्षणिक संस्थाऐं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली है, समाज के आर्थिक दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण उपबंध करता है। इस विधेयक को अनुच्छेद 46 में अन्तर्विष्ट राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिये गये उद्देश्ययों की पूर्ति के लिए लाया गया है।

इस विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 15 में खण्ड (5) के पश्चात उपखण्ड (6) तथा अनुच्छेद 16 में खण्ड (5) के पश्चात खण्ड (6) जोड़ा जावेगा।

इसका लाभ सवर्णों के अलावा अन्य धर्म के लोगों जैसे मुस्लिम, ईसाई आदि को भी मिलेगा तथा इस आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई विपरीत असर एस.सी-एस.टी तथा ओबीसी के आरक्षण पर नहीं होगा। कुल आरक्षण 49.5 प्रतिशत से बढकर 59.5 प्रतिशत हो जावेगा। सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 के खण्ड 5 के पश्चात खण्ड 6 जोड़ा गया है, उसके स्पष्टीकरण के अनुसार अनुच्छेद 15 और 16 के प्रयोजन के हेतु आर्थिक दुर्बल वर्ग को परिभाषित करते हुए, यह कहा है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग में वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुम्ब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जावेंगे।

आरक्षण के लिए पांच प्रमुख मापदण्ड होंगे- (1) परिवार की सालाना आय अब 8 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, (2) परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होगा, (3) आवेदक के पास 1000 वर्ग फीट से बड़ा मकान या घर नहीं हो, (4) म्यूनिसिपल एरिया में 100 वर्ग गज से बड़ा घर नहीं हो, (5) नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपिलिटी में 200 गज से बड़ा घर नहीं हो।

लोकसभा में बहस के समय विधेयक में कई कानूनी दोष बतलाए गए। गुर्जर आन्दोलन के समय राजस्थान में आर्थिक पिछड़ेपन व गरीबी को लेकर 14 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाया गया, अन्य विधानसभा ने भी ऐसा कानून पारित किया और उन्हें नवीं सूची में डालने की प्रार्थना की और वे सब असंवैधानिक करार दिए गए। विधेयक की वैधानिकता पर चर्चा का उत्तर देते हुए जेटली ने स्पष्ट किया कि उक्त विधेयक विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुसार नहीं थे, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधन किये बिना लाए गए थे। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 15 व 16 में तत्संबंधित संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया है और इस प्रकार 10 प्रतिशत आरक्षण मान्य रहेगा। इससे पूर्व तमिलनाडू में 69 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाया गया था, किन्तु उसे शिडयूल में लाकर विधिवत किया गया था। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी लम्बित है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि यदि संशोधन संविधान के विपरीत है तो नवीं सूची में डालने मात्र से वह वैध नहीं होगा।

बहस में सबसे सशक्त आपत्ति यह उठाई गई कि केशवानंद भारती के मामले में निश्चित सिद्धान्त कि इस संशोधन से संविधान की बुनियादी संरचना के दायरे में यह 124वां संविधान संशोधन आयेगा और इसके फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट में इसकी न्यायिक समीक्षा होगी। साथ ही 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण के कारण 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन होगा, जो संशोधन को असंवैधानिक करार देने के हेतु पर्याप्त है। इसके उत्तर में केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि पूर्व के विधेयक जैसे उपर कहा है संविधानिक रूप से नहीं लाये गये थे। इस विधेयक को संविधान विधेयक के रूप में लाया गया है। अरूण जेटली ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह आरक्षण जाति आधारित नहीं है, यह आरक्षण तो आर्थिक आधार पर है। अरूण जेटली ने थोमस की आपत्ति को खण्डित करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 में पहले से ही संशोधन किया जा चुका है कि जिसके खण्ड 4 के द्वारा यह समझाया गया है कि इस अनुच्छेद 29 के खण्ड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। इस प्रकार के प्रावधान के होते हुए यह आपत्ति करना कि राज्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों को कैसे आरक्षण दे सकती है, जबकि आरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं है। 50 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में यह मान्य सिद्धान्त उभर कर आया कि इन्द्रा साहनी व नागराज केस में 50 प्रतिशत आरक्षण का विषय सामाजिक पिछड़ापन था, जबकि यह विषय आर्थिक आरक्षण का है, जिसका लाभ जाति व धर्म की सीमा से परे है। यह विचार उचित प्रतित होता है।

सपा के रामगोपाल यादव ने बहस के दौरान कहा कि ओबीसी की आबादी 54 प्रतिशत है, इस कारण आर्थिक आरक्षण का लाभ आबादी के अनुसार 54 प्रतिशत आरक्षण उन्हें दिया जाना चाहिये। यह भी विवाद का विषय है कि क्या 27 प्रतिशत में ओबीसी की नई उपजातियों को कैसे जोड़ा जा सकता है। विवाद बम्बई हाईकोर्ट में चल रहा है। इन्द्रा साहनी के केस में 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया हुआ है और इस 27 प्रतिशत की सीमा तथा एससी-एसटी की सीमा से लोग बाहर हो रहे है, जिन्हें क्रीमीलेयर कहा जाता है। इस प्रकार इन जातियों का पुनः वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है।

क्रीमीलेयर वाले ओबीसी, एससी-एसटी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। यह विषय कैप्टन गुरविन्दर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। यदि क्रीमीलेयर से निकलने वालों की संख्या घटती है और 10 प्रतिशत की सीमा में आती है, तो 50 प्रतिशत की सीमा की लक्ष्मण रेख भी पार नहीं होगी। विषय गंभीर है तथा शहादत पर आधारित है, अतः इस विषय पर शीघ्र निर्णय भी नहीं हो सकता।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

पौराणिक कथन : 'चित्रगुप्त'

14 यमराजों में से एक जो पाप-पुण्य का लेखा लिखते हैं। यह केतु नक्षत्र का अधिदेवता हैं।

जो शर्बत में नमक मिलाये,
तुम उसको औक़ात बता दो।
संविधान का डंडा लेकर,
उसको उसकी जात जता दो।।

कविता

तोड़ना होगा पिछड़ेपन का मिथक

हम सब
कई दशक से
धर्म सम्प्रदाय की परिधी
से बाहर और ऊपर
मानते रहे संविधान।
हम में ही कुछ
आकार में छोटे
सोच के भोंटे
मानते हैं
खुद को
भारत भू पर अहसान।
संविधान और अहसान
के बीच पिस रहा है
निर्दोषों का
मान और सम्मान।
अनाम इतिहास को कर लांछित
वर्तमान को पिलाया
जाता रहा है
अनर्गल प्रलाप का
कड़वा विषैला काढा
ताकि उनका जीवन
बन सके आसान
भले ही निर्दोषों से
आबाद होता रहे श्मशान।
अब तोड़ना होगा
पिछड़ेपन का मिथक
ताकि सच में बन सके
मेरा भारत महान
सच में
मेरा भारत महान

:: जितेन्द्र शर्मा ::

समता आन्दोलन के हर सदस्य की तरफ से पूरे भारत राष्ट्र को नये साल 2019 और गणतंत्र दिवस की गरिमामयी बधाई और शुभ कामनाऐं।

रोटी का आकार बढाया जाना चाहिए

गतांग से आगे:-

इनका औचित्य-निर्धारण तो देखें-

परिभाषिक समानताएँ भ्रामक हैं और हम उनके अनुसार नहीं चल सकते। यह बड़ा संदेहास्पद है कि जाति संबंधी विचार अनुसूचित जातियों के संदर्भ में लागू होता भी है या नहीं। अनुसूचित जातियों को उनके जनजातीय अथवा आदिवासी स्वरूप से ही जाना जाता है। एक जनजाति किसी जाति की बराबरी नहीं कर सकती।

जैसा पहले कहा गया, संविधान के अंतर्गत ऐसे कई संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियाँ कोई जाति विशेष नहीं हैं। वे जाति से कुछ कम या कुछ बढ़कर हो सकती हैं और यह सच नहीं है कि इनके सदस्य किसी जाति (विशेष) से संबंध रखते हैं, बल्कि सच यह है कि ये एक अति पिछड़े मानव समूह के सदस्य हैं। केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस मामले में न्यायमूर्ति राय द्वारा की गई टिप्पणी को यह स्पष्ट करने के लिए पहले उद्धृत किया गया है कि 'अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ जाति की सामान्य परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है।' चूँकि इस संबंध में कुछ लोगों के विचार इसके विपरीत हो सकते हैं और कुछ न्यायाधीशों ने विपरीत विचार रखे भी हैं, इसलिए इस आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता कि अनुसूचित जातियाँ कोई जाति ही नहीं हैं।

परवर्ती प्रगतिवादी (न्यायाधीश) रही-सही कसर पूरी करने की कोशिश करता है न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी आरक्षण और आरक्षण के विस्तार का औचित्य निर्धारण करते हुए वसंत कुमार मामले में कुछ इस प्रकार टिप्पणी करते हैं-

हालाँकि हम मानते हैं कि उच्च पदों के मामले में प्रतियोगात्मक योग्यता अथवा कुशलता महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि न्यूनतम अर्हता-शर्तें पूरी हो रही हैं तो पदों के आरक्षण में कोई समस्या दिखाई नहीं देती, बात चाहे उच्च पदों की हो या निम्न पदों की।

दूसरी ओर हमें मानना पड़ेगा कि आरक्षण की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। इससे पूर्व हमने टॉनी की समानता से एक अनुच्छेद उद्धृत किया था, जिसमें उन्होंने दुःख प्रकट करते हुए कहा था कि एक-दूसरे की अपेक्षा अपनी नैतिक और बौद्धिक श्रेष्ठता का इस प्रकार प्रदर्शन करना मानवता के लिए कितना शर्मनाक है....।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों तथा समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को एक लंबी यात्रा तय करनी है- न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी हमें वसंत कुमार मामले में याद दिलाते हैं। और फिर चेतावनी देते हुए वह कहते हैं-''द्रोणाचार्य और एकलव्य का जमाना अभी चल रहा है? किंतु किसी प्रगतिवादी की इससे क्या लेना-देना?

नौकरी, राजनीति, जातिवाद और चुनाव का एक ऐसा गठजोड़ बन गया है, जो राष्ट्रीय विकास के खिलाफ मजबूती से खड़ा है; जबकि सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय विकास से ही भारतीय जनता को सामाजिक और आर्थिक विपन्नता के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। जब लोकतंत्र स्वंय ही विरोधी ताकतों के हाथों में खेलता रहेगा तो पिछड़ा ही बनाए रखना और निहित स्वार्थों के लिए भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना जीवन का एक सिद्धांत बन जाएगा।''

खैर, अब भर्त्सना करने का एक और मौका आ गया। माननीय न्यायाधीश आरक्षण के विषय पर अपने साथी न्यायाधीशों के 'श्रेष्ठतावादी, अभिजातवादी और संरक्षणात्मक' दृष्टिकोण के लिए उनकी भर्त्सना करते हैं। उनके अनुसार-''इस अभिजातवादी, श्रेष्ठतावादी और संरक्षणात्मक दृष्टिकोण का योग्यता के मामले से, देश के मामले से और यहाँ तक कि कानून से भी कोई लेना-देना नहीं है।'' वह आगे कहते हैं कि वह धारणा गहराई में जमी हुई है और योग्यता अथवा कुशलता की बात जो लोग करते हैं, वे असली लड़ाई के एक पक्ष के सदस्य ही होते हैं।

वसंत कुमार मामले में उन्होंने टिप्पणी की थी-''श्रेष्ठतावादी, अभिजातवादी दृष्टिकोण का एक परिणाम यह हुआ है कि आरक्षण के मामले को गुणवादी सिद्धांत तथा प्रतिपूरक (अथवा क्षतिपूरक) सिद्धांत के बीच एक संघर्ष के रूप में देखा जाने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। असली लड़ाई समाज के दो वर्गों के बीच है-एक वह वर्ग जो गरीबी, निक्षरता और पिछड़ेपन के दलदल में या तो कभी रहा हो नहीं है या फिर उससे बाहर निकल चुका है और दूसरा वह वर्ग जो आज भी उस दलदल में फैला हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए आतुर है।''

'गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन के दलदल में कभी न रहनेवाले' या 'उससे बाहर निकल चुके' इस वर्ग में न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी के साथी न्यायाधीश भी शामिल हैं, क्योंकि इसी मामले में उन्होंने योग्यता और कुशलता को ध्यान में रखने की बात की थी।

परिणाम शून्य

कभी-कभी कोई प्रगतिवादी भी यह स्वीकार करता दिखाई देता है कि समस्या का वास्तविक समाधान तीव्र विकास है, लेकिन इस ओर ध्यान दिया ही नहीं जाता। कुशलता का स्तर गिरने की बात करनेवालों को 'योग्यता का सौदागर' बताया जाता है; उच्च पदों के मामले में दो-तिहाई रिक्तियों के आरक्षण को तर्कसंगत ठहराया जाता है- सिर्फ इस आधार पर कि यह अनुपात 50 प्रतिशत से बहुत ज्यादा ऊँचा नहीं है; अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का आर्थिक हित सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय उन्हें सरकारी पदों और सत्ता में भागीदारी देना बताया जाता है; सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय सरकार के अधीन निकायों में उन्हें उच्च पदों पर 50 प्रतिशत से कुछ ज्यादा आरक्षण देना बताया जाता है- और यह सब कुछ कहने के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर स्वयं कहते हैं कि समस्या का वास्तविक समाधान विकास है; यानी रोटी का आकार बढ़ाया जाना चाहिए। 'विकास के लिए पर्याप्त प्रतिभा मौजूद होने के बावजूद रोजगार के अवसरों की कमी' का दुःखद परिणाम देखने को मिलता है। माननीय न्यायाधीश कहते हैं-''हरिजनों और गिरिजनों की एक बडी मानव संभाव्यता अथवा प्रतिभा, जिनका भारत की कुल जनसंख्या में पाँचवाँ हिस्सा है, जातीय धारणा की बीमारी के कारण दलदल में फँसी पड़ी है और ऐसे में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उपायों को राजनीतिक मोड़ दिए जाने की बात अपरिहार्य हो गई है।''

इस प्रकार-'' नौकरी, राजनीति, जातिवाद और चुनाव का एक ऐसा गठजोड़ बन गया है, जो राष्ट्रीय विकास के खिलाफ मजबूती से खड़ा है; जबकि सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय विकास से ही भारतीय जनता को सामाजिक और आर्थिक विपन्नता के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। जब लोकतंत्र स्वंय ही विरोधी ताकतों के हाथों में खेलता रहेगा तो पिछड़ा ही बनाए रखना और निहित स्वार्थों के लिए भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना जीवन का एक सिद्धांत बन जाएगा।''

आगे चेतावनी देते हुए न्यायमूर्ति अय्यर फिर कहते हैं-''अंतर्निहित असमानता अथवा असंतुलन के दूर करने के लिए किए गए 'आरक्षण' संबंधी उपचार को बुरा नहीं माना जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से अलग अन्य पिछड़े वर्ग कुछ स्थितियों को छोड़कर-जिनमें अत्यधिक आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएँ विद्यमान हों-

अन्य समान्य स्थितियों में अनुच्छेद 16(2) तक नहीं पहुँच सकते हैं।''-इन शब्दों को देखें और इन्हीं न्यायाधीश महोदय द्वारा एक अन्य स्थान पर और बिलकुल इसी विषय पर लिखे गए इन शब्दों को देखें-''पिछड़ेपन से संबंधित संदिग्ध धारणा और 'पिछड़ा वर्ग' की नामपट्टिकावाली जातियों के राजनीतिकरण की न्यायिक जाँच करवाने की आवश्यकता है। सत्ता की राजनीति 'एक व्यक्ति, एक मूल्य' के सिद्धांत को नहीं तोड़ सकती।''

शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

कार्मिक विभाग के आदेश 05.10.18 की पालना सुनिश्चित हो

नई सरकार से रिगेनिंग आदेश लागू करने की अपील

जयपुर। ना केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने की स्थिति तक पहुंचाने वाले पूर्व आर.ए.एस अधिकारी बजरंग लाल शर्मा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.8.2012 की पालना में तथा कार्मिक विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 5.10.2018 की पालना में आर.ए.एस. अधिकारियों की रिव्यू डीपीसी करने एवं संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ जारी करने बावत पत्र प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग को लिखा है।

पत्र में निवेदन किया गया है कि मेरी याचिका सं 2104/2008 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.02.2010 को निर्णय देते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.12.2002 एवं 25.04.2008 को निरस्त करके हमें रिगेनिंग का लाभ देने का आदेश दिया था। इस निर्णय को सूरजभान मीणा एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति यचिकाओं (एसएलपी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2010 को सही ठहराते हुए आदेश पारित किये गये थे। इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका सं0 914/2010 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव राजस्थान एवं कार्मिक सचिव राजस्थान को अवमानना का दोषी ठहराया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील सं0 2504-2505/2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की पालना के लिए राज्य सरकार को दो माह का समय दिया था। इस आदेश दिनांक 29.8.2012 की पालना अर्थात रिगेनिंग करवाते हुए संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ जारी करने एवं रिव्यू डीपीसी करने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।

2. माननीय सर्वोच्च न्याल के उक्त निर्णय दिनांक 29.8.2012 की पालना नहीं करने पर मेरे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका सं0 453-454/2012 दाखिल की जा चुकी है जिसमें नोटिस जारी हो चुके हैं तथा कार्यवाही लम्बित है।

3. राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च द्वारा बी.के. पवित्रा के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 9.2.2017 की पालना में दिनांक 1.4.1997 से नॉन एससी/एसटी लोकसेवकों को रिगेनिंग करवाते हुए संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ जारी करने के लिए स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 5.10.2018 को जारी किया है। राज्य सरकार के इस आदेश की भी पालना या क्रियान्विति अभी तक नही की गयी है।

4. पत्र में प्रार्थना की गई है कि:- (अ). माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों की क्रियान्विति तत्काल की जा कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को रिगेनिंग का लाभ देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.8.2012 तक की सभी रिव्यू डी.पी.सी. करने एवं संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ जारी करने की कार्यवाही तत्काल सम्पूरित की जावे।

(ब). राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5.10.2018 के आधार पर दिनांक 29.8.2012 के बाद की सभी रिव्यू डी.पी.सी. करने तथा संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ जारी करने की कार्यवाही तत्काल सम्पूरित की जावे।

(स). उपरोक्तानुसार सभी रिव्यू डी.पी.सी. करने तथा संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ जारी करने के बाद आर.ए.एस. से आई.ए.एस. बनाये जाने के सभी बोर्ड निर्णयों को संशोधित करते हुए नॉन एससी/एसटी अधिकारियों को पिछली तारीखों से आई.ए.एस. बनाते हुए सभी देय परिलाभ दिये जावें।

पत्र के अन्त में लिखा गया है कि यदि सरकार उपरोक्तानुसार कार्यवाही आगामी सात दिवस में करने में असफल रहती हैं तो मुझे मजबूर होकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करनी पडेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

समाजवाद पर साम्यवाद का खतरा

अब तक इलैक्ट्रानिक मीडिया को ही एकतरफा बोलने का कारक माना जाता था। लेकिन प्रिन्ट मीडिया भी देश के सामंजस्य को बिगाड़ने के विदेशी षड़यंत्र का हिस्सा बनता दीख रहा है। हाल ही किसी ''वर्ल्ड इनइक्वेलिटी डाटा बेस'' का उदाहरण देकर यह विष फैलाया जा रहा है कि अगड़ी जातियों के 10 प्रतिशत लोगों के पास 60 प्रतिशत दौलत है। लेकिन आरक्षित वर्ग के आंकड़ों से तुलना करते समय यह तथ्य छुपा लिया गया है कि इस वर्ग की कुल सम्पत्ति का 80 प्रतिशत हिस्सा मात्र 3/4 प्रतिशत लोगों के ही पास है।

आर्थिक आंकड़ों की मनमानी व्याख्या करने वाले यह जानकारी कभी नहीं देते कि जनसंख्या बढा कर देश के संसाधनों पर बोझ कौन बढा रहा है? तथ्य बताते है कि जनसंख्या को बेतरतीब बढा कर राजस्थान के एससी-एसटी वर्ग ने विधानसभा में अपनी भागीदारी 56 सीटों से आगे 59 सीटों तक कर ली है। इसी प्रकार ओबीसी भी जनसंख्या बढा कर अपने लिये और अधिक सीटों की मांग लगातार करते आ रहे हैं।

पूंजी को केन्द्र में रखकर दुनिया में मार्क्स, लेनिन और माओ ने साम्यवाद को आगे बढाया जो आज चीन को छोड़ कर पूरी दुनिया में अंतिम सांसे ले रहा है। भारत ने 1969 के आस-पास समाजवाद को अपनाना शुरू किया और उसी मार्ग पर चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि दुनिया में उपेक्षित हो चुका साम्यवाद मीडिया के माध्यम से उल्टी-सीधी बातें फैलाकर पुनर्जीवित होकर समाजवाद को हटाना चाहता है। यह खतरनाक है। क्योंकि साम्यवाद का बीज खून-खराबा है जबकि समाजवाद की पहचान उसकी अहिंसा है। इसी समाजवादी चिंतन के अनुसार विचार इस बात पर होना चाहिये कि पिछले 67/68 सालों में हर तरह की संवैधानिक सुविधाओं से वंचित कर दिये गये अनारक्षित वर्ग ने ना केवल आरक्षित वर्ग का पालन पोषण किया है बल्कि स्वयं के साथ राष्ट्र को भी समर्थ बनाया है। - समता डेस्क

पृष्ठ 2 का शेष... **खरा साबित होगा?**

आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आय 8 लाख रूपये या इससे कम है। यह सीमा वह है जबकि ओबीसी का व्यक्ति इस सीमा को पार करता है तो वह ओबीसी केटेगरी में नहीं रहता। आयकर 2.5 लाख आया पर लिया जाता है। फिर प्रश्न है क्या जो व्यक्ति टैक्स देने में सक्षम है, वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 8 लाख की आय की सीमा में कई प्रकार के अपवाद सामने आयेंगे। यों राज्य सरकार सीमा को घटा कर कम कर सकती है। आय की सीमा का प्रावधान संविधान के संशोधित विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड(5) के पश्चात खण्ड (6) जोड़ कर अन्त:स्थापित किया गया है, अत: विधि के अनुसार है।

यह संविधान संशोधन बिज एक अनेबिलिंग प्रावधान है, इसके आधार पर कई विज्ञप्तियाँ जारी होंगी तथा राज्य सरकारें कानून बनायेंगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण का यह एक क्रान्तिकारी कदम है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह संविधान संशोधन अधिनियम को तथा इस हेतु जारी विज्ञप्तियों और कानून को संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती तो दी ही जावेगी, किन्तु मेरी राय में यह अधिनियम कानून की कसौटी पर खरा साबित होगा। यदि कोई शंका होगी तो इस अधिनियम को संविधान के 9 शिडयूल में डाल कर इसे विधिसम्मत बनाया जा सकता है। यह सच है आरक्षण एक निश्चित अवधि के हेतु था और इसका उद्देश्य समता सूचक समाज की संरचना का था, किन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है इसे स्थायी बनाया जा रहा है, जो देश हित में नहीं है।

रसूखदार परिवार तीन-तीन पीढ़ी से ले रहे आरक्षण

अनारक्षित वर्ग को 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। बहस शुरू हो गई है कि इससे अनारक्षित वर्ग को वास्तव में कितना लाभ होगा? लेकिन चौकाने वाली बात तो यह है कि इससे पहले एससी-एसटी वर्ग के लिए दशकों से लागू आरक्षण का कितना फायदा किसे मिला, इसकी जानकारी किसी को नहीं।

देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार है तो करीब-करीब 3 पीढ़ियों से एससी-एसटी आरक्षण का लाभ ले रहे है। जैसे कि राजस्थान के एक ही परिवार के 25 से ज्यादा सदस्य राजनीति और अफसरशाही में हावी रहे है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि जिससे पता चल सके कि किसे कितना फायदा मिला। लेकिन विषय विशेषज्ञों का दावा है कि करीब 90 फीसदी ऐसे पिछड़े परिवार है जो एक बार भी इसका उचित लाभ नहीं ले पाये।

एससी-एसटी में किसी भी तरह का क्रीमीलेयर तय न होने से सिर्फ 10 फीसदी लोग ही बार-बार आरक्षण का फायदा उठा रहे है। वहीं सांसद उदित राज का कहना है कि आरक्षण को गरीबी उन्मूलन का जरिया नहीं मानना चाहिये। ये सामाजिक समानता के लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई परिवार तीन पीढ़ियों से रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है या चार पीढ़ियों से। एससी-एसटी कैटेगरी का पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण देने में कोई खामी नहीं है।

यूपी में कांग्रेस चलेगी पदोन्नति में आरक्षण का कार्ड

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा के गठबंधन से बाहर फेक दी गई कांग्रेस दलितों को लुभाने के लिए पदोन्नति में आरक्षण का कार्ड खेलने की तैयारी में है।

हालांकि इससे पार्टी को सवर्ण जातियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन कोर ग्रुप का मानना है कि उन्हें मनाने के लिए जीएसटी में संशोधन और रोजगार के अवसरों का वादा किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव रणनीति बना रहे एक वरिष्ठ नेता के अनुसार प्रदेश में दलित समुदाय का वोट बैंक सबसे बड़ा है और पार्टी उन्हें लुभाने के लिए प्रमोशन में आरक्षण का पत्ता पी.एल. पुनिया से फिंकवाने पर विचार कर रही है।

उच्च श्रेणी के अधिकारियों का आरक्षण करें समाप्त

मंदसौर। आरक्षण से संबंधित प्रमुख मांगों के निराकरण को लेकर आरक्षण सुधार मंच (अजा-अजजा) के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भीमराव आंबेडकर प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। बद में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि को दिया।

ज्ञापन में कहा गया कि देश को आजाद हुये 70 साल हो चुके है, किंतु बाबा साहेब की भावना के अनुरूप (समता, समानता और बंधुत्व) अभी भी आरक्षण में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों को आरक्षण का पूर्णत: फायदा नहीं मिला। 20 प्रतिशत लोग जिन्होंने आरक्षण का बड़े स्तर पर फायदा ले लिया है वे ही आज इन 80 प्रतिशत वंचितों के गुनाहगार है अत: उच्च श्रेणी के अधिकारियों का आरक्षण खत्म हो।

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in